भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3671
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941(शक) को उत्तर के लिए

शत्रु संपत्ति

†3671. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से शत्रु संपत्ति की नीलामी की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा नीलामी हेतु अभी तक कितनी संपत्तियां चिन्हित की गई है और इन संपत्तियों का कुल कितना मूल्य होने का अनुमान लगाया गया है;
(घ) क्या चीन और पाकिस्तान में भारतीयों की ऐसी संपत्ति की नीलामी की गई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दावाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों की दृष्टि से नीलामी की पूर्ण प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): सरकार ने शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 के माध्यम से शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में धारा 8-क को जोड़ा है, जिसमें केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से बिक्री अथवा किसी अन्य तरीके से शत्रु संपत्ति को निपटाने का प्रावधान किया गया है। "भारत के शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक (सीईपीआई)" के अधिकार में रखी गई शत्रु संपत्ति (चल एवं अचल दोनों) के निपटान के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन होने के पश्चात सरकार ने "शत्रु संपत्ति निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018" और शत्रु संपत्ति निपटान के लिए मार्गदर्शन (संशोधन) आदेश, 2019" जारी किये हैं।

इसके अलावा, सरकार ने "भारत के शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक (सीईपीआई)" के अधिकार में रखे गये शत्रु शेयर की बिक्री के लिए, "शत्रु शेयर के विक्रय के लिए प्रक्रिया एवं क्रियाविधि आदेश, 2019'' को अधिसूचित किया है।

(ग): अब तक, 182 कंपनियों में लगभग 2800 करोड़ रूपये मूल्य के 748.76 लाख शत्रु शेयरोंको चिन्हित किया गया है और उन्हें ''शत्रु शेयरों के विक्रय के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं क्रियाविधि'' के अनुसार बिक्री हेतु निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है।
(घ) और (ड.): यह प्रश्न विदेशी सरकारों से संबंधित है।

*****